

दिनांक 23.01.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.01.2026 को अपरान्ह 1230 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी, नगामि गंगे, हमीरपुर।
2. श्री सन्देश सिंह तोमर, अधिशाषी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
3. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
4. श्री आशीष वाजपेयी, सहायक अभियंता (विद्युत यांत्रिक), एस0डब्ल्यू0एस0एम0।
5. श्री धीरेन्द्र मौर्या, अवर अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हमीरपुर।
6. श्री आर0के0शुक्ल, सुपरविजन इंजी, पी0एम0सी0 हमीरपुर।
7. श्री अशोक कुमार, मैनेजर, पी0एन0सी0/श्रीहरि इन्फ्रा।
8. श्री सुनील शर्मा, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
9. श्री अभिषेक पाण्डेय, आई0टी0वर्ल्ड।

फर्म जे.डब्ल्यू.आई.एल-एस.पी.एम.एल(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा 04 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। कार्यदायी फर्म पी.एन.सी-एस.पी.एम.एल(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरोलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 02 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है।

अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्योरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित कई ग्रामों में नियमित शत-प्रतिशत जलापूर्ति नहीं की जा रही है। सहायक अभियंता, जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि कई राजस्व ग्रामों में लीकेज होने तथा अवर जलाशय में पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि गा0 विधायक हमीरपुर सदर एवं राठ ने कैथी, आँडेरा, गुन्देला, रहटिया, गलिहा, विलपुर, शीतलपुर, पत्योरा, परा, चिकारी, लदार, गुद्धा, सिमनौड़ी, रीवन, करहिया, पुरैनी, गिरवर, ममना, आदि ग्रामों के बारे में सूचित किया है कि इन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति नहीं की जाती, कई घरों में नल कनेक्शन नहीं दिया गया है तथा कहीं कहीं पर सडक पैच वर्क का कार्य किया जाना अवशेष है। जिस पर ग्रामवार एजेन्सी, अधिशाषी अभियंता, अवर/सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि-

1-पत्योरा- सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि नियमित जलापूर्ति नहीं की जाती।

2-कैथी- लीकेज होने के कारण जलापूर्ति बाधित होती है जिस पर फर्म के प्रतिनिधि श्री सुनील शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि लीकेज टीम लगा दी गयी है।

3-आँडेरा- लाइन चोक होने के कारण जलापूर्ति बंद है जिस पर फर्म के प्रतिनिधित ने अवगत कराया कि टीम लगाकर पाइप लाइन शीर्ष ही ठीक करा दिया जायेगा।

4-गुन्देला एवं रहटिया- पिछले लगभग 50 दिवस से जलापूर्ति से सम्बन्धित शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया है जिस पर सहायक अभियंता श्री अनुराग द्वारा अवगत कराया गया कि टीम लगा दी गयी शीर्ष ही शिकायत का निस्तारण करा दिया जायेगा।

5-विलपुर- जलापूर्ति पूरे ग्राम में सुचारु रूप से नहीं की जा रही है, फर्म के प्रतिनिधि अनुपस्थित पाये गये। सम्बन्धित जेई/ई को पूरे ग्राम में नियमित जलापूर्ति कराने का निर्देश दिया गया।



6-शीतलपुर- नियमित जलापूर्ति नहीं की जाती एवं प्रजापति मुहल्ले में जलापूर्ति नहीं हो रही है सम्बन्धित जेई/ईई को पूरे ग्राम में नियमित जलापूर्ति कराने का निर्देश दिया गया।

7-पहरा- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले एक माह से जलापूर्ति की शिकायत का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है जिस पर फर्म के प्रतिनिधि ने 07 दिवस के अन्दर शिकायत का निस्तारण किये जाने का आश्वासन दिया।

8-पुरैनी- जलापूर्ति से सम्बन्धित शिकायत के निस्तारण के बारे में पूछने पर गेसर्स आई0टी0 वर्ल्ड के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 40 घरों में सप्लाई हो रही है व पुनर्गठन का कार्य अपूर्ण होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि यथाशीघ्र अवशेष कार्य पूर्ण कराकर शेष घरों में जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9-गिरवर- जलापूर्ति शिकायत के निस्तारण के बारे में पूछने पर अवर अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि 85 प्रतिशत जलापूर्ति हो रही है शेष घरों में ऊंचाई होने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। अलग से उस क्षेत्र में सीधे पाइप डालकर 10 दिवस के अन्दर जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

10-ममना- जलापूर्ति शिकायत के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि 90प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है तथा शेष घरों में शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

11-देवगांव- 90प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है शेष घरों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा नाली बनाने का कार्य किया जा रहा है जिस कारण जलापूर्ति में पाइप टूटने के कारण बाधा हो रही है जिसे शीघ्र ही ठीक करके शेष घरों में जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

12-करहिया- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 85 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है तथा शेष घरों में निजी पंप लगा लेने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिस पर फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जिन घरों में निजी पंप लगाया गया है उसकी सूची अधिशासी अभियंता को 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये तथा अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

13-खण्डेह- फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 80प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है तथा शेष घरों में जलापूर्ति हेतु किये जाने वाले कार्यों की डी0पी0आर0 स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

14-गलिहा- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्राम के जलापूर्ति शिकायत की निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15-धुरौली एवं बुढी- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन टूटने के कारण जलापूर्ति नहीं हो पा रही है जिसे ठीक कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

16-गढहर- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कैनल के पास पाइप लाइन टूट गयी है जिसे ठीक कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

17-त्योतना- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कैनल के पास मेन पाइप लाइन टूट गयी है जिसे ठीक कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

18-खरेहटा बुजुर्ग एवं बिलरख- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पाइप लाइन चोक हो जाने के कारण जलापूर्ति में बाधा उत्पन्न हुयी है जिसे ठीक कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

19-लहरा- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 70 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है तथा शेष घरों में लीकेज व पाइप लाइन चोक का कार्य ठीक कराकर शीघ्र ही जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

20-खण्डेही जार- जलापूर्ति शिकायत निस्तारण के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायत का निस्तारण 31.01.2026 तक कर दिया जायेगा जिस पर अधोहस्ताक्षरी ने निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

21-इसौली- अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि उक्त ग्राम के जलापूर्ति शिकायत की निस्तारण रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

22-बदनपुर एवं कल्ला- फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि 50 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति हो रही है, शेष घरों में 10 दिवस के अन्दर मेन्टेनेंस कार्य पूर्ण कर जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

23-नारायणपुर, बांकी, बरदहा एवं पचखुरा खुर्द- फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जलापूर्ति शिकायत का निस्तारण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

24-सुरौली युजुर्ग- जलापूर्ति से सम्बन्धित शिकायत के बारे में पूछने पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ग्राम की डीपीआर स्वीकृत नहीं हुयी है जैसे ही मुख्यालय से स्वीकृति मिल जायेगी उक्त ग्राम के कार्यों को पूर्ण कराकर नियमित जलापूर्ति उपलब्ध करा दी जायेगी।

बैठक में अधिशासी अभियंता (वि०/या०), श्री मानवेंद्र कुमार सहायक अभियंता (सिविल), श्री शंकू कुमार अवर अभियंता (सिविल), मै० जय माँ लक्ष्मी, मै० अवस्थी ट्यूबवेल, मै० अनिल शर्मा कन्सट्रक्शन, मै० वी०के० कन्सट्रक्शन, एवं एन०के० गुप्ता के प्रतिनिधि अनुपस्थित पाये गये। अधिशासी अभियंता (वि०/या०), द्वारा विगत एक वर्ष से बैठकों में प्रतिभाग नहीं किया जा रहा जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक को निर्देशित किया कि आगामी बैठकों में अधिशासी अभियंता (वि०/या०), सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अवर जलाशयों का प्रत्येक माह में दो बार सफाई कराकर प्रत्येक दश में जल की गुणवत्ता जांच करके ही जलापूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। सभी फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं का 07 दिवस के अन्दर निस्तारण कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)


पत्र संख्या- 1112 / न०गंगे-पे०यो०-स०वै०(2025-26)

दिनांक- 13.2.26

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)

6. अधीक्षण अभियंता, सतप्त जल विभाग (प्राचीण), बांदा।
7. अधिसारी अभियंता, निगमिष्ठान, राठ/हमीरपुर।
8. अधिसारी अभियंता, जल विभाग(प्राचीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
9. अधिसारी अभियंता वि०/सौ०, जल विभाग (प्राचीण), मित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
10. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सोन्सिटा टेक लि० (टी०पी०आई०)/सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०/जनरल मैनेजर, जे०एच०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. पुनर्गठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)



अपर जिलाधिकारी

(न्यायि यंगे तथा प्राचीण जलपूर्ति विभाग)

हमीरपुर।